केंद्रीय विद्यालय संगठन
Kendriya Vidyalaya Sangathan
संभागीय कार्यालय REGIONAL OFFICE
केंद्रीय विद्यालय न.1,ए.एफ.एस.केम्पस, सैक्टर-14
KV No.1, AFSCampus,Sector-14
गुरुग्राम, हरयाणा / Gurugram (Haryana)-122001
Phone: 0124-2307399(DC), 2307499, 2307599, 2307699
E-mail: dcrogurgaon@kvsedu.org , admnkvsrogurgaon@gmail.com

एफ.32029/प्रशा./उत्पीड़न कमेटी/के.वि.एस./गुडगांव/

दिनांक: 19-अप्रैल-2018
ई-मेल/तत्काल डाक

कार्यालय आदेश

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार एवं भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण नियम, 1964 के नियम – 3 (सी) के अंतर्गत लिए गए निर्णय संख्या-25 जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं, तथा केन्द्रीय विद्यालयों के लिए निर्धारित शिक्षा संहिता के अनुच्छेद – 160 के निबंधन में निम्लिखित सदस्यों की एक समिति इस क्षेत्रीय कार्यालय में पुनर्गठित की जाती है जो गुरुग्राम संभाग के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय विद्यालयों एवं इस क्षेत्रीय कार्यालय की यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिला कर्मचारियों की शिकायत का तत्परता से निवारण करेगी :-

1	संयोजक	श्रीमती के. आर. चुघ, सहायक आयुक्त, के.वि.सं., गुरुग्राम संभाग
2	गैर-सरकारी संगठन सदस्य	सुश्री पूनम भटनागर, अधिवक्ता एवं हेड ऑफ़ दीपशिखा सोसाइटी, # 235/3, अपोजिट चौपाल बैंक्वेट हॉल, ओल्ड दिल्ली रोड, गुरुग्राम 122001
3	सदस्य	श्रीमती सीमा श्रीवास्तव, प्राचार्या, के.वि. क्रं.2, फरीदाबाद
4	सदस्य	श्री सुरेंदर, प्राचार्य, के.वि. रोहतक

उपर्युक्त समिति को शिक्षक/कर्मचारी द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के साथ किए गए अनैतिक आचरण से सम्बंधित कारणों को भी केन्द्रीय विद्यालयों के लिए निर्धारित शिक्षा संहिता के अनुच्छेद-81(बी) के अंतर्गत संक्षिप्त जांच (Summary Enquiry) कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जा सकते हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इस प्रकार की शिकायतों को समिति के संयोजक को उपलब्ध कराया जाएगा। संयोजक जाँच कार्यवाही संपन्न करने हेतु उपर्युक्त समिति में से किसी एक गैर-सरकारी संगठन सदस्य तथा एक प्राचार्य को सहयोजित (Co-opt) करेंगे। समिति शिकायत प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

यह आदेश – पत्र इस मामले में पूर्व में जारी किए गए सभी आदेशों के अधिक्रमण में जारी किया गया है। उपरोक्त समिति का कार्यकाल इस आदेश के जारी होने की तिथि से 03 वर्ष तक रहेगा।

एस॰ एस॰ रावत

(एस. एस. रावत)
उपायुक्त

प्रतिलिपि:-

1. समिति के सभी सदस्यगण।
2. समस्त प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, गुरुग्राम संभाग - सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि वे उपर्युक्त जानकारी समस्त कर्मचारियों को दें।
3. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, के.वि.सं., गुरुग्राम संभाग।
4. संयुक्त आयुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय व्दियालय संगठन (मु.), नई दिल्ली।
5. उपायुक्त, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय / जीट।
6. वरिष्ठ स्टेनो, के.वि.सं., गुरुग्राम संभाग – को क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

PKS